न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 312सी /2025
राजमणी देवी बनाम दीपक कुमार तथा अन्य
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता–राधाकांत शर्मा
प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता–रवि कुमार
1

01.07.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज आदेश हेतू निर्धारित है। परिवादी की ओर से पैरवी है। मामले में न्यायालय शपथ पर बयान ,जॉच साक्ष्य, एवं परिवाद पत्र का अवलोकन करती है। शपथ पर बयान के अनुसार परिवादी का कथन है की घटना 2022 से हैं। शंभू तथा दीपक ने मुझे तथा मेरे पति को बराह में जमीन दिखाया था। जमीन लेने के नाम पर दो लाख अभियुक्तों ने ले लिया। बाद में जमीन नही दिये तथा न ही पैसा दिया। पैसा मांगने पर लौटाने से इंकार करते है।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में परिवादी ने कहा की शंभू से पूर्व से परिचय था। लेने देन का कागज बना था। पैसा नगद दिये थे।

प्रस्तुत मामला भा0 न्याय0 संहि0 के लागू होने से बाद का है अतः अभियुक्तो को नोटिस निर्गत किया गया है। अभियुक्तगण उपस्थित हुए। अभियुक्तों ने अपने जवाब में कहा की यह की दिनांक 07.09.2022 को जमीन खरीदने का करार हुआ था और दो लाख रूपये अग्रिम के रूप में कंपनी को दिया गया। यह की तय सीमा के भीतर परिवादी के द्वारा न तो बकाया राशि दी गयी और न ही जमीन खरीदगी का प्रयास किया गया। जिससे करार की शर्तो का उल्लंघन हुआ। यह की कंपनी आज भी पैसा देने के लिए तैयार है। अतः मुकदमा खारिज करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में जब न्यायालय परिवाद पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी के बयान , जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की मामलें में परिवादी के द्वारा अभियुक्तों को जमीन लेने के नाम पर 02 लाख रूपये दिया गया। बाद में अभियुक्तों ने न तो जमीन दी न ही पैसा वापस किया। साक्षियो ने घटना का समर्थन किया हैं। अभिलेख पर अभियुक्तो कें विरूद्ध की गयी वकालतन नोटिस भी है। तथा दीपक कुमार के द्वारा किये गये करार जिसमें शंभू प्रसाद गुप्ता भी है। उस संबंधित करार के 100 रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखे हुये करार की छाया प्रति अभिलेख पर हैं।

अब न्यायालय समस्त साक्ष्यों के आधार पर समस्त अभिलेख का अवलोकन करती है तब न्यायालय **भगवती देवी बनाम् उतर प्रदेश राज्य 1975 ए. आई. आर.83 एस.सी. में दिए गए निर्देश जिसमें कहा गया है की शिकायत का संज्ञान लेना प्रारंभिक जॉच का हिस्सा है, संज्ञान का अर्थ यह नहीं है की आरोपी को दोषी माना जा रहा है बल्कि यह केवल यह तय करने के लिए है की मामला सुनवाई योग्य है की नहीं।**

अगर शिकायत प्रथम दृष्ट्या अपराध को दर्शाती है तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है, न्यायालय को प्रारंभिक चरण में अत्यधिक साक्ष्यों की मांग नहीं करनी चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय नुपुर तलवार बनाम केंद्रीय जॉच ब्यूरो (2012)11 एस.सी.सी. 465 में स्पष्ट कहा है की मजिस्ट्रेट को शिकायत केतथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, अगर प्रथम

ARWAL CIVIL COURT

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 312सी /2025
राजमणी देवी बनाम दीपक कुमार तथा अन्य
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता–राधाकांत शर्मा
प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता–रवि कुमार

दृष्ट्या मामला बनता है तो संज्ञान लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। संज्ञान के समय गहराई से साक्ष्य की सत्यता की जॉच करना आवश्यक नहीं है, यह कार्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

न्यायालय के सामने परिवादी के द्वारा की गयी शिकायत के तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में एक तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण 1.दीपक कुमार 2.शंभू प्रसाद गुप्ता के द्वारा दिनांक 07.09.2022 को जो करार किया गया है की उसमे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है की अगर किसी कारण से इनका पैसा डूबता है तो वह दोनो उस पैसे को लौटायेंगे। यह की इससे स्पष्ट है की परिवादी ने 02 लाख रूपये जमा करके 600 वर्ग फीट का प्लॉट बुक कराया था। बाद में परिवादी को न तो जमीन मिली और न ही पैसा। इस प्रकार से मामले में प्रथम दृष्टया आपराधिक दुर्विनियोग एवं छल का मामला बनता प्रतीत होता हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत मामले में न्यायालय मामले में संज्ञान के स्तर पर जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित तथ्यों का अवलोकन करती है तो न्यायालय यह पाती है कि संज्ञान के समय न्यायालय केवल यह देखती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है या नहीं। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि मामले में अभियुक्तगण 1.दीपक कुमार 2.शंभू प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 318(2), 314/3(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाती है अतः **अभियुक्तगण 1.दीपक कुमार 2.शंभू प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 318(2), 314/3(5)** के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक–01.08.2026 तक समन की अपेक्षिताएं जमा करें।

लेखापित,

मनीष कुमार पाण्डेय
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

ARWAL CIVIL COURT